संघ लोक सेवा आयोग
अनुशेष – उम्मीदवारों को नोटिस

संदर्भ: संघ लोक सेवा आयोग का सूचनापरक विज्ञापन सं. 10/2022, रिक्ति संख्या 22051009328 प्रकाशन की तारीख 28.05.2022 जिसके अंतर्गत शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वाइस प्रिंसिपल (उप प्रधानाचार्य) के 131 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16.06.2022 को 23.59 बजे तक थी।

आयोग ने इन पदों के संबंध में उम्मीदवारों को लघु सूचीबद्ध करने के लिए **दिनांक 11.12.2022 (रविवार) (अपराह्न सत्र) को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे** तक ऑफलाइन पेन एवं पेपर आधारित भर्ती परीक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है। केवल भर्ती परीक्षण के आधार पर लघु सूचीबद्ध किए गए तथा पद के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

परीक्षा केन्द्र	केन्द्र कोड
अहमदाबाद	01
भोपाल	04
चेन्नै	12
दिल्ली	08
दिसपुर (गुवाहाटी)	09
जयपुर	11
जम्मू	34
कोच्चि	24
कोलकाता	06
लखनऊ	26
मुम्बई	05
नागपुर	13
पोर्टब्लेयर	37
रांची	41
विशाखापट्टनम	51

I. परीक्षण की योजना:

(क) परीक्षण दो घण्टे की अवधि का होगा।
(ख) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
(ग) परीक्षण में बहुविकल्पीय उत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।
(घ) परीक्षण का माध्यम अंग्रेजी तथा हिंदी होगा।
(ड़) गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
(च) उक्त परीक्षण अधिकतम 300 अंकों का होगा।

II परीक्षण का पाठ्यक्रम:

(1) सामान्य ज्ञान सहित समकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे।
(2) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान
(3) तर्क शक्ति और संख्यात्मक ज्ञान
(4) शिक्षा नीतियां एवं शैक्षिक मानदंड और मूल्यांकन
(5) प्रबंधन और वित्तीय प्रशासन
(6) कार्यालय पद्धति

टिप्पणी- I: भर्ती परीक्षण संबंधी स्थल की सूचना उम्मीदवारों को यथासमय दे दी जाएगी।

टिप्पणी- II: भर्ती परीक्षण के आधार पर लघु सूचीबद्ध किए गए तथा साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षण और साक्षात्कार का वेटेज 75:25 होगा।

विभिन्न श्रेणियों से संबद्ध उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार हेतु उपयुक्तता का स्तर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

सामान्य/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	:	50 और अधिक
अन्य पिछड़ा वर्ग	:	45 और अधिक (शिथिल मानकों पर)
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	:	40 और अधिक (शिथिल मानकों पर)
दिव्यांग व्यक्ति (सामान्य/आर्थिक रुप से कमजोर/अ.पि.व./अ.जा./अ.ज.जा.)	:	40 और अधिक (शिथिल मानकों पर)

टिप्पणी- III: परीक्षण केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।